बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–6556/गो०, दिनांक 24.10.2020 द्वारा निवास सिंह पे० – स्व० देवकी प्रसाद सिंह, साकिन – नयागॉव, थाना – परबत्ता, जिला – खगड़िया एवं ओ०पी० अध्यक्ष, भरतखंड ओ०पी० के डी०आर० न० – 285/20 दिनांक 20.10.2020 द्वारा चंद्रकांत चौधरी, पे० –अनंत चौधरी साकिन – मथुरापुर, थाना – परबत्ता भरतखण्ड, के मृत्यू हो जाने के कारण उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति (जो पुलिस निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अग्रसारित है) क्रमशः 01/1986 (परबत्ता थाना) एवं $54\frac{14}{83}$ को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या एवं प्रकार	शस्त्र की स्थिति (पुलिस प्रविवेदन के अनुसार)
1	2	3	4
1	निवास सिंह पे० – स्व० देवकी प्रसाद सिंह, साकिन – नयागॉव, थाना – परबत्ता, जिला – खगड़िया	बन्दुक अनुज्ञप्ति संख्या – 01/1986	डीलक्स आर्म्स को०, खगड़िया के यहाँ जमा है।
2	चंद्रकांत चौधरी पे० – अनंत चौधरी, साकिन+थाना – बिहपुर, जिला – भागलपुर वर्त्तमान पता – साकिन – मथुरापुर, थाना – परबत्ता भरतखण्ड, जिला – खगड़िया	राईफल अनुज्ञप्ति संख्या– $54\frac{14}{83}$ (भागलपुर) (खगड़िया ओ०डी०न० – 247)	भरतखण्ड ओ०पी० में जमा है।

अतः उपरोक्त मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। थानाध्यक्ष भरतखंड ओ0पी0 को आदेश दिया जाता है कि अगले आदेश तक शस्त्र को जमा रखेंगे एवं मुल अनुज्ञप्ति पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा, खगड़िया में जमा करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार थानाध्यक्ष परबत्ता को आदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित से शस्त्र जमा करने का प्राप्ति रसीद के साथ मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020 649 /जी0, दिनांक 30.10.2020

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, परबत्ता/भरतखंड ओ0पी0 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके पत्रांक–6556/गो0, दिनांक 24.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए सूचित करना है कि आपके पत्रांक 6555/गो0/6557 गो०/6558 गो०/ दिनांक 24.10.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 10/59, 03/73 एवं 03/77 इस कार्यालय के ज्ञापांक 537 दिनांक 29.04.2015 एवं 108 दिनांक 12.02.2019 जी0, द्वारा रद्द किया जा चुका है।

प्रतिलिपि :– आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।